न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 184/2019

प्रार्थीगण :–

1. टीकुराम पुत्र नारणाराम
2. गोकलाराम पुत्र नारणाराम
3. धर्माराम पुत्र नारणाराम
4. चुनाराम पत्र नारणाराम
5. हवादेवी पत्नी नारणाराम सभी जाति जाट निवासीयान सुथारों की ढाणी पटवार क्षेत्र आकडली तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मालाराम पुत्र डूंगराराम
2. मीरो पत्नी सुखाराम
3. रामाराम पुत्र सुखाराम
4. गंगाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट विप्रार्थी संख्या 3 ता 4 नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता विप्रार्थी संख्या 2 मीरो पत्नी सुखाराम
5. चिमाराम गोदपुत्र राणाराम
6. जैती पत्नी राणाराम
7. खेताराम पुत्र केसराराम के कायम मुकमा :–

7/1. टीकूराम पुत्र खेताराम

7/2. आईदानराम पुत्र खेताराम के कायम मुकाम

7/2/1 कमला पत्नी आईदानराम

7/2/2 विजय पुत्र आईदानराम

7/3. गजरो बैवा खेताराम जाति जाट निवासीयान सुथारों की ढाणी आकडली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसील पचपदरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.C.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :– 1 श्री रूगाराम प्रार्थीगण वकील

आदेश दिनांक :– 10.09.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए [illegible] के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त [illegible] है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थीगण के खातेदारी [illegible] के खसरा न0 500/168 रकबा 28–19 बीघा सरहद मौजा सुथारों की ढाणी, पटवार हल्का आकडली भू.अभि. नि. साजियाली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में आवागमन उपयोग हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा न0 167 रकबा 97–04 बीघा में सलंग्न नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल रास्ता 15 फिट चौडा कटाण रास्ता घोषित कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:35:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर ए.डी के जारी किये गये ,रजिस्टर रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/2305 दिनांक 22.12.2020 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा सुथारों की ढाणी, में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 500/168 के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा संख्या 167 रकबा 97–04 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 23400/ रूपयें प्रति बीघा है।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सुथारों की ढाणी, के खेत खसरा न0 167 रकबा 97–04 बीघा जो पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 05 बिस्वा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का आकडली से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा सुथारों की ढाणी, के खसरा संख्या 167 रकबा 97–04 बीघा की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थीगण खसरा न0 500/168 रकबा 28–19 बीघा मौजा सुथारों की ढाणी, पटवार हल्का आकडली तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 167 रकबा 97–04 में से नया मार्ग तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि 15 फीट चौडा रा[illegible]नुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी [illegible] 23400/ [illegible] बीघा [illegible]रित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 05 बिस्वा [illegible] रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 10700/– रूपये सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान करे एवं भुगतान रसीद तहसीलदार पचपदरा के [illegible]र्यालय में जमा करावें, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

उप खण्ड अधिकारी (...) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:35:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) [illegible]

मौका रिपोर्ट दिनांक 10.9.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:35:01 IST
Reason: SelfAttested